<u>पंजीकृत</u>

प्रेषक,

राज्य लोक सूचना अधिकारी–कम उप निदेशक (पी एण्ड आई)
कार्यालय निदेशक, ई.एस.आई स्वास्थ्य संरक्षणं, हरियाणा,
एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

Sh. Ram Kumar Dahiya,
House No.1807, Sector-6, Bahadurgarh
Jhajjar (Hr)124507

यादि कमांक 6/1(361)–ई.एस.आई–आर.टी.आई.–3जी–2016/8554
दिनांक 27-7-16

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

आप द्वारा मांगी गई सूचना निदेशालय में उपलब्ध शाखा के रिकार्ड अनुसार आपको प्रेषित की जाती है।

विभाग द्वारा प्रदत सूचना से सहमत ना होने की स्थिति में आप प्रथम अपीलिएट अथोरिटी–कम–निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा, एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ को अपील कर सकते हैं।

संलग्नः– 4पेज।

राज्य जन सूचना अधिकारी–कम–उप निदेशक (पी0एण्ड0आई0)
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा ।

यादि कमांक 6/1(361)–ई.एस.आई–आर.टी.आई.–3जी–2016/ 8555 **दिनांक** 27-7-16

इसकी एक प्रति राज्य जन सूचना अधिकारी–कम–संयुक्त श्रम कार्यालय श्रम आयुक्त श्रम विभाग, हरियाणा के पत्र दिनांक 08.07.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– 4पेज।

राज्य जन सूचना अधिकारी–सह–/उप निदेशक (पी एण्ड आई)
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा ।

FTMS 8603 25-7-16 4B m/54 25/7/16

विषय :- **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे– श्री राम कुमार दहिया ----**

क्या राज्य जन सूचना अधिकारी–कम–उप निदेशक (पी0 एण्ड आई0) अपने अशा0 पत्र कमांक 7188, दिनांक 15.7.2016 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगें ?

विषयाधीन मामले मे श्री राम कुमार दहिया मकान नं0 1807, सैक्टर–6, बहादुरगढ़ हरियाणा द्वारा मांगी गई सूचना निम्न प्रकार से तैयार करके आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

मै आपसे ये जानकारी चाहता हूं कि विभाग ई0एस0आई0 हैल्थ केयर हरियाणा में वर्तमान निदेशक डा0 अनिल मलिक से अधिक शैक्षणिक योग्यता उनसे अधिक सेवा/कार्यकाल की अवधि व उनसे आयु में अधिक कौन–2 से अधिकारी/चिकित्सक हैं और उनकी सेवाओं में क्या–2 त्रुटियां पाई गई जिस कारण उनको निदेशक नियुक्त नहीं किया गया। अगर निदेशक के पद पर नियुक्ति में कोई रोग (लंबी बिमारी) शारीरिक अदक्षता बाधा बनती है तो कृप्या विस्तृत विवरण दें।	इस बारे में सूचित किया जाता है कि इस विभाग में स्वास्थ्य विभाग के नियम लागू होते हैं। इन नियमों अनुसार निदेशक के पद पर सिविल सर्जनों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती है। जब डा0 अनिल मलिक को निदेशक के पद पर पदौन्नत किया गया था उस समय इस विभाग में डा0 अनिल मलिक, 4.01.2013 से डा0 गजराज आनन्द 12.4.2013, से व डा0 रजनी गुप्ता 12.4.2013, से सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत थे इस प्रकार सिविल सर्जन के पद पर किसी भी अधिकारी का सेवाकाल इनसे अधिक अवधि का नहीं था तथा उक्त दोनों सिविल सर्जन इनसे कनिष्ठ थे। इनकी शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है– डा0 अनिल मलिक एम0डी0 मैडीसिन, डा0 गजराज आनन्द एम0बी0बी0एस0 तथा डा0 रजनी गुप्ता एम0डी0 गायनी है। इस प्रकार इन से अधिक शैक्षणिक योग्यता किसी की नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि नियमानुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति में रोग (लंबी बिमारी) शारीरिक अदक्षता व आयु का कोई विवरण नहीं है। विभागीय नियमों की प्रति साथ संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्त।

Anil Kumar
डीमड ए0एस0पी0आई0ओ0
–कम–उप अधीक्षक, स्था0–II

सेवा में ,

राज्य जन सूचना अधिकारी–कम–
उप निदेशक (पी0 एण्ड आई0)।

अशा पत्र कमांक 21/120–ई एस आई–स्था–II–3–2016/ 1270 दिनांक 25-7-16

D:\D drive\Establishment Branch\Establishment-II\ramehar E-3\RTI\Letter.doc

Regd. No. CHD/0093/2012–2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 18, 2014 (ASADHA 27, 1936 SAKA)

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2014

संख्या 25/7/2007-HBI.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल चिकित्सा (वर्ग क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग–I — सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल चिकित्सा (वर्ग क) सेवा नियम, 2014 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) 'आयोग' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) 'सीधी भर्ती' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, पदोन्नति से या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) 'सरकार' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार।

(घ) 'संस्था' से अभिप्राय है:–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ङ) 'मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है –

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा

Attested

E.S.I. Health Care, Haryana
25-7-16

Regd. No. CHD/0093/2012–2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 18, 2014 (ASADHA 27, 1936 SAKA)

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2014

संख्या 25/7/2007-3HB1.:– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल चिकित्सा (वर्ग क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग–I – सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल चिकित्सा (वर्ग क) सेवा नियम, 2014 कहे जा सकते हैं । संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) 'आयोग' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) 'सीधी भर्ती' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, पदोन्नति से या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) 'सरकार' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार।

(घ) 'संस्था' से अभिप्राय है:–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ङ) 'मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है –

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा

Attested

SUPERINTENDENT,
E.S.I. Health Care, Haryana
25-7-18

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जाएँगे।

8. कोई भी व्यक्ति– निरर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :– भर्ती का ढंग।

(क) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की दशा में :–
अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं में से पदोन्नति द्वारा ;

(ख) अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की दशा में:–
निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं में से पदोन्नति द्वारा ;

(ग) निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की दशा में :–
सिविल सर्जन में से पदोन्नित द्वारा ;

(घ) सिविल सर्जन की दशा में :–
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ङ.) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की दशा में :–

(i) 75 प्रतिशत चिकित्सा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) चिकित्सा अधिकारी की दशा में :–

(i) सीधी भर्ती द्वारा या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा ; परिवीक्षा।

परन्तु :–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर किये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन, नियत परिवीक्षा अवधि की दशा में गिनने के लिए अनुज्ञात की जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित

Attested
SUPERINTENDENT
25-7-16

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

कम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	------	पदोन्नति द्वारा अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ।
2	अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	------	पदोन्नति द्वारा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ।
3	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	------	पदोन्नति द्वारा सिविल सर्जनों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ।
4	सिविल सर्जन	------	पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ।
5	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	(i) एम०सी०आई० द्वारा ऐसे रूप में मान्यता प्राप्त एम०डी० या एम०एस० डिग्री या पी०जी० डिप्लोमा (ii) एम.डी. / एम.एस. उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय / अस्पताल अनुभव में पांच वर्ष की प्रतिष्ठा; या पी०जी० डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय/अस्पताल अनुभव में सात वर्ष की प्रतिष्ठा; या एम.बी.बी.एस. पास करने के बाद किसी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव एम०डी०/एम०एस० उपाधि प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए; या एम.बी.बी.एस. पास करने के बाद किसी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में 12 वर्ष का अनुभव जिसमें से कन से कम तीन वर्ष का अनुभव पी०जी० डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए;	पदोन्नति द्वारा : एच०सी०एम०एस० में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर। स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) एम०सी०आई० द्वारा ऐसे रूप में मान्यता प्राप्त एम०डी० या एम०एस० डिग्री या पी०जी० डिप्लोमा (ii) एम.डी. / एम.एस. उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय / अस्पताल अनुभव में पांच वर्ष की प्रतिष्ठा; या पी०जी० डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद चिकित्सा व्यवसाय/अस्पताल अनुभव में सात वर्ष की प्रतिष्ठा; या एम.बी.बी.एस. पास करने के बाद किसी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव एम०डी०/एम०एस० उपाधि प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए; या

Attested
Superintendent, E.S.I. Health Care, Haryana.
25-7-16